Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 20-03-2006

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

an>

Title : Need to check alleged discrimination in allotment of quota of wheat to Rajasthan under APL, BPL and other schemes.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, वर्तमान में केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा राजस्थान को भारतीय खाद्य निगम के भंडारों से राजस्थान सरकार की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप गेहूं का आवंटन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप लगातार सूखे की स्थिति को झेल रहे राजस्थान राज्य के अकाल राहत कार्यों एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कार्यरत एवं प्रतीक्षारत लाखों श्रमिकों को लगाने में बड़ी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने सामाजिक एवं अन्न सुरक्षा विभिन्न योजनाओं में भी गेहूं के आवंटन में चाहे बीपीएल हो या एपीएल हो, उसमें भी भारी कमी कर दी है। बीपीएल आवंटन में 12674 टन की कमी करके गरीब परिवारों के पेट पर लात मारने का काम किया है। इसी प्रकार एपीएल योजना में गेहूं की मात्रा 63479 टन की कमी कर दी है। इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा, अन्त्योदय योजना, कल्याणकारी संस्थाओं, वृद्धजनों, विकलांगों तथा छात्रावासों के गेहूं के आवंटन में भी कमी कर दी है। राजस्थान में चावल फूड का प्रचलन नहीं होने एवं कीमत ज्यादा होने के कारण गरीबों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। आज स्थिति यह है कि बीपीएल में गेहूं की कीमत 4 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम है जबकि चावल 6 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम है। चावल वहां के लोग खाते नहीं तथा वह महंगे भी हैं।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के साथ गेहूं के कोटे में लगातार किये जा रहे भेदभाव को तुरंत रोका जाये तथा राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप उसे बीपीएल एवं एपीएल तथा अकाल राहत कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए पूरा कोटा तुरंत प्रभाव से आवंटित किया जाये जिससे आने वाली गर्मियों तक अकाल एवं सूखे की मार झेलने वाले लाखों श्रमिकों को अकाल राहत कार्यों पर काम दिया जा सके। (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN :

Shri S. Mallikarjuniah – not present.

Shri Punnu Lal Mohale.